संख्या 980 / II–2005–03–(05)/05

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग,उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 21 मार्च 2005

विषय : वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए आयोजनागत मदों में पुनर्विनियोग द्वारा धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 28205/मु0अ0वि0/बजट/बी–1, सामान्य, दिनांक 28.02.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न बी0एम0–15 पर कालम–5 पर अंकित योजनाओं के लिए प्लान आउटले व बजट प्राविधान में गैप होने के कारण अन्तर की धनराशि अंकित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से व्यावर्तन द्वारा रू0 424.25 लाख (रूपये चार करोड़ चौबीस लाख पचीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय करने की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के बिरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– स्वीकृप धनराशि का खण्डवार विभाजन/फॉट मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

5– जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक

क्रमश.....2

प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक भारत सरकार, महालेखाकार उत्तरांचल राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

7– कार्य की समय बद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– विभागीय कार्य करने से पूर्व लोक निर्माण/सिंचाई विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 3103.2005 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत संलग्नक में आयोजनागत पक्ष के उल्लिखित उप शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 790/वि0 अनु0–3/2004 दिनांक 16 मार्च 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

संख्या 880/।।–2005–03–(05)/05,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वित्त वित्त अनुभाग–3।
3– श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट,अनुभाग, उत्तरॉचल शासन।
4– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
6– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
7– कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

आय–व्ययक प्रपत्र–15

नियंत्रक अधिकारी–मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सि0वि0, उत्तरांचल — प्रशासनिक विभाग:– सिंचाई विभाग, उत्तरांचल

अनुदान संख्या–20 — वित्तीय वर्ष 2004–05 — (अयोजनागत) — (धनराशि हजार रू0 में)

बजट प्राविधान एवं लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय 01/05 तक	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष/ सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें स्थानान्तरित जानी है	पुर्नविनियोग के बाद सतम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद सतम्भ–1 की कुल धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2705–कमान क्षेत्र विकास आयोजनागत 800–अन्य व्यय 01–केन्द्रीय आयोजनागत 24–वृहत निर्माण कार्य रू0 30000	3	13282	16715 क	4701–मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 01–मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक 140–नलकूपों का निर्माण (जि0 यो0ा) 91–नलकूपों का निर्माण (जिलयोजना) 00–24–वृहत निर्माण कार्य रू0 4425 142–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजना 91–निर्माणाधीन सिंचाई नहरों का निर्माण (जिला योजना)	34425 ख	13282	(क) केन्द्र द्वारा धनराशि अवमुक्त न होने के कारण बचतें हुई है। (ख) बजट प्राविधान व प्लान आउटले की आवश्यकता अधिक होने के कारण।
4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01–बाढ़ नियंत्रण आयोजनागत 103–सिविल निर्माण कार्य 01–केन्द्रीय आयोजनागत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 01–नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक योजनायें 24–वृहत निर्माण कार्य रू0 55000	6126	10516	38358	00–24–वृहत निर्माण कार्य रू0 33000 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01–बाढ़ नियंत्रण आयोजनागत 103–सिविल निर्माण कार्य 03–अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव 00–24–वृहत निर्माण कार्य रू0 5000	189597 60000	29290 42572	
योग 85000	*6129*	*23798*	*55073*	*42425*	*284022*	*12648*	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट अनुमान परिच्छेद 150,151,155 एवं 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नही होता है ।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव (सिंचाई)

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या: 790/वि0अनु0–3/2004–05
देहरादून दिनांक ~~2005~~ 16-8-05

पुर्नविनियोग स्वीकृत
(के0सी0 मिश्र)
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन, देहरादून ।

2–समस्त वरिष्ट कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।

(महावीर सिंह चौहान)